पत्रांकः जी.एस.टी./2018–19/ 1819027 / 533 /वाणिज्य कर

कार्यालय– कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी.एस.टी. अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 23, अगस्त, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

जी.एस.टी. प्रैक्टिशनर के सम्बन्ध में प्रामाणिक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

1. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन फार्म–जी.एस.टी. पी.सी.टी.–01 में जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल पर दिया जायेगा। आवेदन करते ही एक एप्लीकेशन रिफरेन्स नं0 (ARN) जनरेट होगा।
2. आवेदन, कॉमन पोर्टल से वैकल्पिक रूप से केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के सिस्टम पर प्रेषित कर दिया जायेगा।
3. आवेदन, सम्बन्धित ज्यूरिस्डिक्शनल अधिकारी के डैशबोर्ड पर भी भेज दिया जायेगा। उस दशा में जहाँ सिस्टम के द्वारा केन्द्र सरकार के अधिक्षेत्र का निर्धारण न हो पा रहा हो तो आवेदन सर्वप्रथम सेन्ट्रल प्रोसेसिंग सेन्टर पर ज्यूरिस्डिक्शन निर्धारण हेतु भेजा जायेगा, तत्पश्चात् सम्बन्धित ज्यूरिस्डिक्शनल अधिकारी को आवेदन उपलब्ध होगा।
4. यदि ज्यूरिस्डिक्शनल अधिकारी का यह विचार है कि आवेदन उसके अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है तो वह आवेदन को राज्य के भीतर सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र में (केन्द्र सरकार की दशा में ज्यूरिस्डिक्शनल डिवीज़न में) RE-ASSIGN OPTION के द्वारा रि–एसाइन कर सकता है। ज्यूरिस्डिक्शनल अधिकारी सिस्टम पर आवेदन प्राप्त होने की तिथि से **7 कार्य दिवस** के भीतर आवेदन को रि–एसाइन करेगा।
5. यदि ज्यूरिस्डिक्शनल अधिकारी सन्तुष्ट है कि आवेदन सही क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है तब वह आवेदन को प्रोसेस कर सकता है अथवा अधीनस्थ को जाँच हेतु आवेदन प्रत्यायोजित कर सकता है। सिस्टम पर आवेदन प्राप्त होने की तिथि से **तीन कार्य दिवस** के भीतर ज्यूरिस्डिक्शनल अधिकारी को जाँच हेतु आवेदन अधीनस्थ को प्रत्यायोजित करना होगा।
6. यदि आवेदन को प्रत्यायोजित किया गया है, तो DESIGNATED OFFICER [केन्द्र सरकार की दशा में अधीक्षक (सुप्रिंटेन्डेन्ट)] द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन के प्रत्यायोजन की तिथि से **10 कार्य दिवस** के भीतर जाँच रिपोर्ट दिया जाना आवश्यक होगा।
7. ज्यूरिस्डिक्शनल अधिकारी या तो आवेदन को स्वीकार करने हेतु APPROVE का चयन कर सकता है अथवा किसी त्रुटि अथवा कमी के होने पर RAISE QUERY के माध्यम से कमियों को संसूचित कर सकता है।

क. स्वीकार करने की दशा में, स्वीकृति **तीन कार्य दिवस** के भीतर–

(i) सिस्टम पर आवेदन प्राप्त होने की तिथि से, जहाँ आलोच्य अधिकारी द्वारा, आवेदन पैरा 6 के अनुसार प्रत्यायोजित नहीं किया गया है।

(ii) उस तिथि से, जब जाँच रिपोर्ट अधीनस्थ अधिकारी से प्राप्त हो गयी है।

ख. यदि कमियों को संसूचित किया जाना आवश्यक है, तो सिस्टम पर आवेदन प्राप्त होने की तिथि अथवा अधीनस्थ अधिकारी से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की तिथि, जैसी स्थिति हो, से **तीन कार्य दिवस** के भीतर करना होगा।

8. यदि कमियों को संसूचित (QUERY) किया गया है, तो यह कॉमन पोर्टल पर आवेदनकर्ता को दिखायी देगा। आवेदक द्वारा कॉमन पोर्टल के माध्यम से प्रत्युत्तर दिया जायेगा तथा ज्यूरिस्डिक्शनल अधिकारी के डैशबोर्ड पर अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध होगा। कमियों के संदर्भ में आवेदक द्वारा अपना प्रत्युत्तर कमियों को संसूचित किये जाने की तिथि से 10 कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि आवेदक कमियों के संदर्भ में उत्तर प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

9. कमियों के संदर्भ में प्रत्युत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात् आवेदन अन्तिम रूप से APPROVED अथवा REJECTED होगा। स्वीकरण/अस्वीकरण (APPROVAL/REJECTION), कमियों के संदर्भ में उत्तर प्राप्त होने की तिथि से **तीन कार्य दिवस** के भीतर किया जायेगा।

10. जाँच किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण–

(i) आवेदक की डिग्री/योग्यता उनके द्वारा दाखिल किये गये डिग्री की कॉपी से सत्यापित होना चाहिए। केवल संदेह की दशा में दाखिल की गयी डिग्री की कॉपी का सत्यापन मूल डिग्री की कॉपी से किया जा सकता है।

(ii) पते का सत्यापन दाखिल किये गये सम्बन्धित दस्तावेजों के आधार पर होना आवश्यक है। भौतिक सत्यापन किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

(iii) आवेदक सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर्स अथवा टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के रूप में पूर्ववर्ती टैक्स रिजीम में कम से कम 5 वर्ष तक पंजीकृत रहा है, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज (यदि लागू हो)

11. यह प्रक्रिया उन आवेदनों पर लागू होगी, जो कि इसके जारी किये जाने के पश्चात् दाखिल किये जाते हैं।

15/23/8

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।